संख्या : 8/2024/63/94-1-2024-312(77)/2023

प्रेषक,

रवीश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र०, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 11 मार्च, 2024**

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में उप रजिस्टीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4855/193-विविध/शि०का०लख०/2023 दिनांक 29.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओबरा, जनपद सोनभद्र में उप निबन्धन कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा नवसृजित तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में उप निबन्धक कार्यालय के संचालन हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक के लिए, यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं :-

क्रम सं0	नवसृजित तहसील जहाँ उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना की जानी है।	पदनाम	वेतनमान	अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या
1-	ओबरा, जनपद सोनभद्र	उप निबन्धक	लेवल-10, रुपये 56100-177500	एक
		निबन्धन लिपिक	लेवल-3 रुपये 21700-69100	एक

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा।

4. नवसृजित उप निबन्धक कार्यालय, ओबरा, जनपद सोनभद्र की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन तथा क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय सं०-E-9-584-X-2023-24 दिनांक 07.03.2024** में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2024/63(1)/94-1-2024 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि आवश्यक हो तो शासनादेश सं०-ए-2-797/दस-87-24(12)-86 दिनांक 25.05.1987 के प्रस्तर-3 के अनुसार पदों की निरन्तरता का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।